Title: Introduction of the Lokpal Bill,1998.

11.04 hrs.

THE PRIME MINISTER (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of the institution of Lokpal to enquire into allegations of corruption against public functionaries and for matter connected therewith.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): प्रधान मंत्री जी भी अंग्रेजी बोलने लगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह विधेयक जन्म-मरण के अनेक फेरे पार करके आज की स्थिति में पहुंचा है। जब १९६६ में मोरार जी भाई की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमीशन का निर्माण हुआ तो उन्होंने दो संस्थाओं के बारे में सुझाव दिये थे - एक लोकपाल और दूसरा लोकायुक्त। लोकायुक्त का गठन राज्यों में हो गया और लोकायुक्त काम भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक लोकपाल का प्रश्न है, बार-बार लोक सभा के सामने प्रस्ताव लाये गये, विधेयक पेश हुए, चर्चाएं भी हुई, समितियां बनीं और यह सिलसिला १९६८ में शुरू हुआ। १९७१ में इसके लिए ि वचार का प्रबंध हुआ १९८५ में फिर से इसे लाया गया, क्योंकि विधेयक पारित होने से पहले लोक सभा भंग हो जाती थी, बीच में ही तिरोहित हो जाती थी। १९९६ में आखिरी बार प्रयत्न हुआ था कि इसे कानून का रूप दे दिया जाए, लेकिन तब भी लोक सभा के भंग होने की स्थिति पैदा हो गई। हमने अपने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेन्स में इस विधेयक को कानून का रूप देने का वचन दिया है। आज हम अपना वचन पूरा कर रहे हैं। हमने यह भी वचन दिया था कि प्रधान मंत्री को इस विधेयक की परिधि में लाया जाए। यह चर्चा का विषय है, इस पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, चर्चा के दौरान वे सामने आ सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम चाहते हैं कि मंत्रियों, प्रधान मंत्री तथा संसद सदस्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, प्रधान मंत्री भी संसद का सदस्य होता है। कानून सभी पब्लिक सर्वेन्टस पर लागू होगा और सभी संसद सदस्य उसकी सीमा में आयेंगे। क्योंकि अब

... (व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-IISection-2, dated 3.8.98

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी जो बिल पेश कर रहे हैं इसमें सांसद और विधायक को जांच के घेरे में क्यों ला रहे हैं? सांसद को तो वेतन भी १५०० रुपये मिलता है। मजदूरों को जो मिनीमम वेजिज मिलता है, उससे भी कम सांसदों को मिलता है। इसलिए इनकों इससे बाहर रखें।

... (व्यवधान)

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सांसदों का वेतन १५०० रुपये है। एम.पीज. को इसकी परिधि से बाहर कर दिया जाए। चूंकि यह मिनीमम वेजिज से भी कम है।

... (व्यवधान)

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : एक चपरासी का वेतन भी हमसे ज्यादा है। प्रधान मंत्री जी लोकपाल बिल तो ला रहे हैं, लेकिन संसद सदस्यों का वेतन बढ़ाने के बारे में भी कुछ सोचिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए, आप बैठिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, लोकपाल में तीन सदस्य होंगे और तीनों न्यायपालिका से आयेंगे। लोकपाल और अन्य दो सदस्यों का चयन करने के लिए एक समिति बनेगी, उप-राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष होंगे और प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लोक सभा अध्यक्ष, ग्रह मंत्री, उस सदन का नेता जिसमें प्रधान मंत्री सदस्य नहीं होगा, वह शामिल किया जायेगा और लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता, राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता

... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि लोक पाल बिल को प्रस्तुत किया जा रहा है या ि वचार शुरू हो गया है।

MR. SPEAKER: Shri Mohan Singh, let the hon. Prime Minister complete his remarks.

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः लोकपाल सार्वजनिक पदारूढ़ व्यक्तियों के खिलाफ उन शिकायतों की जांच करेगा जो प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट, १९८८ के अधीन दंडनीय होंगे। लोक पाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य, यदि वे किसी सदन के सदस्य होंगे, सांसद होंगे या विधान मंडल के सदस्य होंगे, तो उन्हें उनसे त्यागपत्र देना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

SHRI P. SHIV SHANKER : Sir, no speech is made at the stage of introduction. This is a new custom or convention which the hon. Prime Minister seems to be setting.

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि बिल को पेश करते समय बिल की रूपरेखा के बारे में दो शब्द कहे जाते हैं।

... (व्यवधान)

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): It is never done. This seems to be politically motivated.

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी जब भी बोलते हैं, तो उनको इस प्रकार से बीच में बोलने से टोका या रोका नहीं जाता है।

... (व्यवधान)

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): It has never happened. He has every right to speak at the time of consideration of the Bill. I have all respect for the Prime Minister but I have respect for the Rules also.

SHRI MADHUKAR SIRPOTDAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, the hon. Prime Minister is the Leader of the House, and he is only mentioning some points. He should not be stopped like this.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, I am aware that no statement was made on many occasions when a Bill was introduced. There have been many occasions also when the Mover of a Bill made a brief statement while introducing the Bill. It is a plain factual statement which is being opposed to on this ground, that too in the case of the Prime Minister. I regret that it should happen.

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आगे समय नहीं लेना चाहता हूं। विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और सदन को उस पर विचार का पूरा मौका मिलेगा। मेरा इरादा मोटी-मोटी रूपरेखा सदस्यों के सामने रखने का था जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन में आसानी हो और इंट्रोडक्शन में जो संभावित आपत्तियां हैं, उनका निराकरण किया जा सके। मुझे इस अवसर पर और ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of the institution of Lokpal to enquire into allegations of corruption against public functionaries and for matter connected therewith."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The Prime Minister may now introduce the Bill.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, I introduce the Bill.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, I may be permitted to raise a very important matter.